न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी:– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 19/25
दायर दिनाँक :– 25.09.2025
निर्णय दिनाँक:– 24.11.2025

उनवान :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 मनोहरथाना

बनाम

ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालीयान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार, सरकार पैरोकार
2 अप्रार्थीगण अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक: 24.11.2025

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार तहसील मनोहरथाना द्वारा सेटलमेंट से पूर्व सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण की गैर–खातेदारी में दर्ज आराजी के स्थान पर राजकीय भूमि गैर–मुमकीन सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोलूखेड़ी मालियान तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के आराजी ख0 नं0 492 रकबा 0.4452 हेक्टेयर अप्रार्थीगण के गैरखातेदारी में राजस्व रिकार्ड दर्ज है। तहसील म0थाना के राजस्व ग्राम कोलूखेड़ी मालियान के आराजी ख0नं0 492 रकबा 14–00 बीघा को भू प्रबंधन विभाग द्वारा जमाबंदी वर्ष 30 जून 1966 तक में ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान को गैरखातेदार दर्ज दिया गया जो कि राजकीय भूमि थी जिसे किसी दूसरे व्यक्ति/संस्था के पक्ष में गैर–खातेदार नहीं किया जा सकता था, सेटलमेंट जमाबंदी में आवंटन आदेश व दिनांक एवं नामान्तकरण संख्या का अंकन नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा गैर–खातेदारी गलत दर्ज की गई है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है जिस हेतु नकल जमाबंदी भी प्रार्थना पत्र के संलग्न की गई है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कोलूखेड़ी मालियान की आराजी ख0 नं0 492 रकबा 0.4452 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम को सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कर अप्रार्थीगण की गैर–खातेदारी के स्थान पर राजकीय भूमि गैर–मुमकीन सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 19/25
तहसीलदार म0 थाना बनाम ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी
निर्णय दिनाँक :– 24.11.2025

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थी गैर–खातेदार को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के नोटिस बाद तामील न्यायालय हाजा को प्राप्त हुए। अप्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने बाबत पर्याप्त अवसर दिये जाने उपरान्त भी न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहे है। जिससे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण को वरियता के आधार पर निस्तारण हेतु रखा जाकर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि मुताबिक पटवारी मोका रिपोर्ट एवं जमाबंदी उक्त प्रश्नगत आराजी ख0 नं0 492 रकबा 0.4452 हैक्टेयर जो कि रिकार्ड अनुसार ग्राम पंचायत के नाम गैर–खातेदारी में दर्ज है जिस पर ग्राम पंचायत का कब्जा नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति कब्जा एवं काश्त है। ख0 नं0 492 रकबा 14.00 बीघा में से 11 बीघा 05 बिस्वा आराजी कालीखाड़ लघु सिंचाई परियोजना में दर्ज है एवं शेष आराजी 2 बीघा 15 बिस्वा ग्राम पंचायत के नाम गैर–खातेदारी में दर्ज है जिस पर मोके पर ग्राम पंचायत का कब्जा काश्त नही है तथा 05 बिस्वा भूमि में नहर निकल रही है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त प्रश्नगत आराजी ख0 नं0 492 रकबा 0.4452 हैक्टेयर को अप्रार्थीगण की गैरखातेदारी के स्थान पर राजकीय भूमि गैर–मुमकिन सिवायचक दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, पटवारी मौका रिपोर्ट एवं सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी 30 जून 1966 तक की का पूर्ण अवलोकन किया एवं पेरोकार सरकार की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन एवं बहस पर मनन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान जो कि प्रश्नगत आराजी ख0 नं0 492 रकबा 0.4452 हैक्टेयर में वर्तमान में गैरखातेदार दर्ज है का ग्राम कोलूखेड़ी मालियान की प्रश्नगत आराजी पर किसी भी का कब्जा काश्त नहीं है एवं अप्रार्थी को जवाब हेतु पूर्ण अवसर दिये जाने के बाद भी कोई जवाब/उज्र पेश नहीं करना यही साबित करता है कि अप्रार्थीगण का उक्त प्रश्नगत आराजी से कोई सरोकार नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कोलूखेड़ी मालियान की आराजी ख0 नं0 492 रकबा 0.4452 हैक्टेयर जो कि ''ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान'' के नाम गैरखातेदारी में दर्ज है के स्थान पर '' राजकीय भूमि गैर–मुमकिन सिवायचक '' दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील मनोहरथाना को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना